न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 14 / 2021

अनवान :–

1. छोटूराम पुत्र अमरसिह जाति बिश्नोई निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. दलीप कुमार पुत्र नोरगलाल जाति माली निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भीमसैन पुत्र नोरगलाल जाति माली निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. रूकमणी देवी पत्नी नोरगलाल जाति माली निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 11.12.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प में पेश हुई है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 38 / 38 की कुल 1.0250हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 63 / 63 की कुल 1.2270हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है।

सायल ने गैरसयाल से प0न0 394 / 430 (30) के किला न0 9 ,10 की रास्ते से चिपती हुई भूमि खरीद की थी इसीप्रकार किला न0 4 ,5 की भूमि भी खरीद की जिसमें जाने के लिये किला न0 3 के दक्षिण दिशा की 0.0130हैक भूमि भी खरीद की किन्तु सायल अपनी खरीदशुद्वा किला न0 4 ,5 मे प्रवेश के लिये रास्ता नही था।

सायल अपने खेत चक 4 बीकेके के खाता संख्या 38 / 38 में जाने के लिये गांव भुकरका से चलकर अपने खेत मे जान के लिये अपने खेत के प0न0 294 / 430 के किला न0 9 ,10 से होकर सायल के चिपते गैरसायल के खेत के प0न0 294 / 430(30) के किला न0 2 मिन पूर्वी दक्षिण कोना की 0.001हैक भूमि से होते हुए अपने खेत के किला न0 4 ,5 में प्रवेश करता है यही रास्ता सदामत से चालू है जिसे स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है रास्ता की भूमि के बदले में भूमि देने को भी तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 4 बीकेके प0न0 294 / 430(30) के किला न0 2 मिन पूर्वी दक्षिण कोना की 0.001हैक भूमि रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे एवं रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में पेश होने पर गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल संख्या 1 ता 3 देने को तैयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः

सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ता 3 की रोही मौजा चक 4 बीकेके के प0न0 294/430(30) के किला न0 2 की मिन पूर्व दक्षिण कोना में 0.001हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प0न0 294/430(30) के किला न0 10 की 0.001हैक्ट भूमि गैरसायल संख्य 1 ता 3 को उसकी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... भुकरका

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2021 /   दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :— स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना—पत्र सं0 14 सन 2021 निर्णय दिनांक 11.12.2021

अनवान :—

अनवान :—

1. छोटूराम पुत्र अमरसिह जाति बिश्नोई निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1 दलीप कुमार पुत्र नोरगलाल जाति माली निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भीमसैन पुत्र नोरगलाल जाति माली निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. रुकमणी देवी पत्नी नोरगलाल जाति माली निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि गैरसायल न0 1 ता 3 की रोही मौजा चक 4 बीकेके के प0न0 294 / 430(30) के किला न0 2 की मिन पूर्व दक्षिण कोना में 0.001हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि प0न0 294 / 430(30) के किला न0 10 की 0.001हैक भूमि गैरसायल संख्य 1 ता 3 को उसकी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष— 2021
कैम्प कोर्ट... भुकरका